मु.मं.घो.

संख्या– 2100 / III–2/06–73(प्रा.आ.)/05

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 13 जनवरी, 2006

विषयः– वित्तीय वर्ष 2005–06 में जनपद अल्मोड़ा के तहसील सल्ट में मरचुला से डोटियाल मोटर मार्ग का सुदृढीकरण व हाटमिक्स का कार्य (किमी0 1.00 से 36.00) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रश्नगत कार्य का आगणन रू0 1202.00 लाख की लागत के आगणन पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रूपये 1169.40 लाख (रू0 ग्यारह करोड उनहत्तर लाख चालीस हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं कि उक्त कार्य का प्राकलन व्यय वित्त समिति की संस्तुतिनुसार वन विभाग के क्लीयरेन्स प्राप्त होने के बाद व्यय की स्वीकृति विभागाध्यक्ष द्वारा दी जायेगी। उक्त प्रशासकीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन है।

2. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरियता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. कार्य वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

6. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

10. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

2. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।

13. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

14. आगणन में एक प्रतिशत क्वालिटी कंट्रोल तथा एक प्रतिशत साइट एक्मोन्डेशन की राशि को ऋणात्मक की गई है। इन दोनों मदों का व्यय कंटेन्जेन्सी मद से वहन किया जाय।

15. यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–यू.ओ.–37/XXVII (2)/2005 दिनांक 13 जनवरी, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 2100 (1)/III–2/06,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबराय मोटर्स बिल्डिग माजरा देहरादून।
2– आयुक्त कुमांयू मण्डल नैनीताल।
3– जिलाधिकारी /कोषाधिकारी, अल्मोड़ा ।
4– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल देहरादून।
7– मुख्य अभियन्ता, कुमांयू क्षेत्र लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
8– अधीक्षण अभियन्ता, 43 वां वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा ।
9– वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन।
10– लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तरांचल शासन
11– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।